

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक प.1(5)न्याय/2013

जयपुर, दिनांक 3/7/18

-:अधिसूचना:-

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950(सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(5)न्याय/2013 दिनांक 06.01.2014 को अंशतः संशोधित करते हुए, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1, निम्बाहेडा की अतिरिक्त बैठक का स्थान बडी सादडी की शिविर अवधि प्रत्येक माह में चार दिवस के स्थान पर प्रत्येक माह के एकान्तर सप्ताह में तीन दिवस नियत करती है।

राज्यपाल के आदेश से,



3.7.18

(महावीर प्रसाद शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, चित्तौडगढ।
9. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौडगढ।
10. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
11. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
14. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ(सी.डी सहित)
15. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।


3.7.18

(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव